राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 48वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 48वीं बैठक दिनांक 27/09/2023 को डॉ. बी.पी. सोनकरे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1: 48वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 48वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स दतान(ख) सेण्ड माईन (प्रो.– श्री रामदयाल साहू), ग्राम–दतान(ख), तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2802)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 438259/2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (सेण्ड माईनिंग) है। खदान ग्राम–दतान(ख), तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1829, कुल क्षेत्रफल–4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से

किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–88,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चन्द्रपाल सिंह बरगाह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दतान(ब) का दिनांक 21/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदित क्षेत्र का खसरा एवं क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। अतः समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र का खसरा एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (बैठक कार्यवाही विवरण एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **विवादित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विवादित/सीमांकित का घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1582/बी 3–7/न.क्र. 05/2023 बलौदाबाजार, दिनांक 25/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1587/बी 3–7/न.क्र. 05/2023, दिनांक 25/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1587/बी 3–7/न.क्र. 05/2023, दिनांक 25/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्मशान एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री चन्द्रपाल बरगाह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1100/बी 3–7/न.क्र. 02/2023 बलौदाबाजार, दिनांक 26/05/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है। तत्पश्चात कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1362/बी 3–7/न.क्र. 02/2023 बलौदाबाजार, दिनांक 19/06/2023 द्वारा एल.ओ.आई. में संशोधन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 08/06/2023 को जारी

की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि–साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया कि गूगल इमेज और क्षेत्र की टोपोशीट से सत्यापित किया जा सकता है कि आवेदित भूमि से लगभग 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, जंगल या वन्य जीव अभ्यारण नहीं है। गूगल मेप में आवेदित भूमि से बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण की आकाशीय दूरी लगभग 15 कि.मी. दर्शित होती है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डारग(बा) 1.15 कि.मी., स्कूल ग्राम–डारग(बा) 2.4 कि.मी. एवं अस्पताल कसडोल 13.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.2 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी., नाला 510 मीटर, एनीकेट 4.1 कि.मी. एवं नहर 1.85 कि.मी. दूर है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 835 मीटर, न्यूनतम 765 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 252 मीटर, न्यूनतम 251 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 207 मीटर, न्यूनतम 182 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट किनारे से दूरी – अधिकतम 168 मीटर, न्यूनतम 145 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 6.2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–88,200 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 6.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 08/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.58	2%	0.6916	Following activities at Nearby, **Village- DATAN**	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.75
			Total	**0.75**

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों का रोपण किया जाना है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल पर 20 नग पौधे हैं। जिसके अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 18,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 60,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दतान (ख) के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 967, क्षेत्रफल 1.315 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – ग्राम पंचायत दतान (ख) के सहमति उपरांत नदी के तट पर शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 1089/1, कुल रकबा 2.5 हेक्टेयर) में 1,000 नग वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है–

विवरण		प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी के तट पर शासकीय भूमि में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,00,000	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	1,00,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव आदि हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 14,50,000		**4,50,000**	**2,50,000**	**2,50,000**	**2,50,000**	**2,50,000**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का मेरे द्वारा पालन किया जाएगा।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (s) Civil No. 114/2014 Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का मेरे द्वारा पालन किया जाएगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जायेगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं छमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराया जाएगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन नहीं किया जावेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 2.4 कि.मी., अस्पताल 13.85 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1.15 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे–

i. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढँककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत कार्य किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे गाँव, आबादी, स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

31. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

32. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–दतान(ख)) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का नाप कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का नापी पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

4. आवेदित क्षेत्र का खसरा एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (बैठक कार्यवाही विवरण एवं दिनांक सहित) की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स दतान(ख) सेण्ड माईन (प्रो.– श्री [illegible]), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1929, ग्राम–दतान(ख), तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग

गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स सिद्धवासिनी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्रीमती ममता चौबे), ग्राम–सलबा, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2904)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/437749/2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सलबा, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 161, कुल क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–9,382.1 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोदन (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(a) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास चौबे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

    i. पूर्व में डोलोमाइट साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 161 कुल क्षेत्रफल–1.08 हेक्टेयर, क्षमता–3,478.8 घनमीटर (9,392.1 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 01/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 31/07/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

    "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

    उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/07/2024 तक वैध होगी।

    ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

    iii. वर्तमान में 840 नग पौधों का वृक्षारोपण किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 223/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 24/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2018–19	निरंक
2019–20	1,020
2020–21	1,790
2021–22	2,600
2022–23 (फरवरी माह तक)	1,053

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सलका का दिनांक 28/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 78/खनिज/2018 बलरामपुर, दिनांक 28/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 224/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 224/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स विन्ध्यवासिनी प्रोप. प्रकाश के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्ष अर्थात दिनांक 19/09/2018 से 18/09/2048 तक की अवधि हेतु किया है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री राजेन्द्र कुमार चौबे एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3277 बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/08/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.06 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सलका 500 मीटर, स्कूल ग्राम–सलका 1 कि.मी. एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ़ 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.60 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 3.2 कि.मी., झुमका नदी 2.8 कि.मी., रिजर्वायर 900 मीटर, सेवरा नाला 440 मीटर, तालाब 210 मीटर एवं नहर 108 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,60,380 टन, माईनेबल रिजर्व 1,04,302 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 90,872 टन था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,40,091 टन, माईनेबल रिजर्व 84,013 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 75,611 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,158.73 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,820.13 घनमीटर है। जिसमें से 1,108.09 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में व्यवस्थित वृक्षारोपण किया जाएगा एवं शेष 2,712.04 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 181, क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर, भू-स्वामी श्रीमती कमला चौबे एवं श्री राजेन्द्र कुमार चौबे) में व्यवस्थित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल

कार्टिंग जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,385.9	षष्ठम	9,386.6
द्वितीय	9,385.9	सप्तम	9,387.4
तृतीय	9,385.9	अष्टम	9,388.7
चतुर्थ	9,385.9	नवम	9,387.1
पंचम	9,380.4	दशम	9,382.1

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 624 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 540 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 84 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 8,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 53,000 रूपये, खाद के लिए राशि 31,200 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,55,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,47,600 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,24,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
10.79	2%	0.2158	Following activities at nearby, **Village-Salka**	
			Plantation at Village pond	0.50
			Total	**0.50**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग वृक्षारोपण किया जाना है। वर्तमान में 10 नग वृक्ष तालाब पर स्थित है, शेष 20 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 32,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सलका की सहमति उपरांत कार्यालयीन

खदान (खसरा क्रमांक 458, रकबा 3.84 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी ज़ोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में संग्रहित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ द्वारा ही ब्लास्टिंग कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा।हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे : –

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जायेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जायेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जायेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

vi. प्रभावशील तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित क्षेत्र से तालाब 210 मीटर तथा नहर 110 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित क्षेत्र से स्कूल 1 कि.मी., अस्पताल 22 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 600 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली प्रदूषण समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे–

i. खदान के माईन बाउण्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जायेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

vi. हमारे द्वारा ग्राम में स्थित तालाब में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि सी.ई.आर. के तहत् तालाब के पानी और आम की विभिन्न प्रजातियों, जामुन, कटहल आदि के पौधों का रोपण एवं सुरक्षा हेतु फेंसिंग तथा 5 वर्षों तक संपूर्ण देखभाल किया जायेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्णता प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भू-स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी लेने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

34. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 224/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स [illegible] स्टोन क्रशर (प्रो.–श्रीमती [illegible]) को ग्राम–[illegible], तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 181 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.08 हेक्टेयर, क्षमता – 9,392.1 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स अशोक कुमार अग्रवाल (भटको आर्डिनरी स्टोन माईन, पार्टनर–श्री दिनेश अग्रवाल), ग्राम–भटको, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2606)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 438153/2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भटको, तहसील–बतौली, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 778/3, कुल क्षेत्रफल–1.088 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–7,666 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/09/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सचिन अग्रवाल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   - i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 778/3, कुल क्षेत्रफल 1.068 हेक्टेयर, क्षमता–7,767.92 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सरगुजा द्वारा दिनांक 24/03/2017 को जारी की गई।
   - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. वर्तमान में 276 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 717/खनिज/उ.लि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (टन में)
2017–18	352.00
2018–19	222.40
2019–20	4,422.40
2020–21	4,491.20
2021–22	4,000.00
2022–23	96.00
मई 2023 तक	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन पट्टा प्रदाय के संबंध में ग्राम पंचायत भटको का दिनांक 02/01/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 42–44/उ.लि./क्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 12/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 631/खनिज/उ.लि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक 22/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 630/खनिज/उ.लि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक 22/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेलवलाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वॉटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती मंजू मित्तल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात दिनांक 07/03/2009 से 06/03/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात लीज डीड 20 वर्षो अर्थात दिनांक 07/03/2019 से 06/03/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अंबिकापुर के आदेश दिनांक 29/04/2022 द्वारा "उक्त उत्खनन पट्टा को मेसर्स अशोक कुमार अग्रवाल प्रो.– श्री सचिन अग्रवाल, पिता श्री अशोक कुमार अग्रवाल, निवासी रेस्ट हाउस रोड पत्थलगांव, जिला–जशपुर छ.ग. के पक्ष में अंतरण करने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 25/03/2022 को प्रस्तुत किया गया था। पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा अंतरिती के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 56(3) के तहत् उक्त उत्खनन पट्टा को अंतरिती के पक्ष में अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।" का उल्लेख है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खनिज विभाग के निर्देशानुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही लीज अंतरण अनुबंध करवाया जा सकता है। अतः राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के द्वारा खदान की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् लीज अंतरण करवाकर आपके कार्यालय में लीज अंतरण अनुबंध की प्रति जमा की जावेगी।

पार्टनर द्वारा पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री सचिन अग्रवाल, श्रीमती अल्का देवी अग्रवाल, श्रीमती पद्मिनी अग्रवाल, श्री मदन जैन, स्व. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्री अनुज मित्तल एवं श्रीमती चंचल मित्तल पार्टनर है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./231 अंबिकापुर, दिनांक 12/01/2009 को जारी पत्र अनुसार आवेदित भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि पहाड़ चट्टान दर्ज है, उक्त भूमि खसरा सीमांकित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुनकुरी 400 मीटर, ग्राम–मटकी 750 मीटर, स्कूल ग्राम–मटकी 1.15 कि.मी. एवं अस्पताल अंबिकापुर 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं राजमार्ग 29.2 कि.मी. दूर है। मांड नदी 3.4 कि.मी., श्रीनगरी नाला 750 मीटर, तालाब 230 मीटर, रेल लाइन 1.8 कि.मी. एवं नहर 20.80 कि.मी. दूर है।

10. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,50,420 टन, माईनेबल रिजर्व 88,737 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 79,063 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,030 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,068.50 घनमीटर है। जिसमें से 1,062 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा एवं शेष 1,006.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित कर संरक्षित रखा

जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है। डीप होल से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,503
द्वितीय	7,594
तृतीय	7,688
चतुर्थ	7,503
पंचम	7,688

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 594 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 330 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 264 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 26,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 28,700 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,81,100 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,96,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.55	2%	0.7	Following activities at Nearby Village- Kunkurkala	
			Plantation around village pond	0.925
			Total	0.925

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पार (ग्राम, [illegible] एवं [illegible]) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग वृक्षारोपण किया जाना है। वर्तमान में 10 नग वृक्ष तालाब पर स्थित है, शेष 50 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 17,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 32,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में

कुल राशि 60,000 रूपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुम्हारीकला के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 944, रकबा 0.888 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ द्वारा ही ब्लास्टिंग कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा।हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी, एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे :—

i. प्रस्तावित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख्ता गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. बरसाती जल के संग्रहण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

vi. तथा समीप तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 230 मीटर तथा नहर 20.80 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.15 कि.मी., अस्पताल 28 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 750 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जायेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जायेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

vi. हमारे द्वारा ग्राम में स्थित तालाब में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारों ओर ग्राम की विभिन्न प्रजातियों, जामुन,

कटहल आदि के पौधों का रोपण एवं सुरक्षा हेतु फेंसिंग तथा 5 वर्षों तक संपूर्ण देखभाल किया जायेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. लीज क्षेत्र के चारों माईन बाउन्ड्री में ग्रीन बेल्ट योजना के तहत् पौधा रोपण किया गया है, शेष पौधों का रोपण फेंसिंग के साथ करके जियोटेग फोटोग्राफ के साथ अर्धवार्षिक रिपोर्ट में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. 1,008.0 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना को प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–सरगुजा को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स दर्री डोलोमाइट क्वारी (प्रो.– श्री राम केडिया), ग्राम–दर्री, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2808)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/437781/2023, दिनांक 28/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाइट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दर्री, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 469/2, कुल क्षेत्रफल–3.17 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–64,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स वर्मा कन्स्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती सिंदेश्वरी वर्मा), ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2807)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/439823/2023, दिनांक 31/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरंदुल, तहसील–बड़े बचेली, जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 61, कुल क्षेत्रफल 2.22 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–20,628 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 61, कुल क्षेत्रफल–2.22 हेक्टेयर, क्षमता–3,061 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 03/06/2017 को उत्खननयोग्य आरक्षित तक (निक्षेपित आरक्षित तक) जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

x. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

xi. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 436/खनिज/क.गौ./2023-24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 21/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	निरंक
2019-20	351
2020-21	75
2021-22	58
2022-23	425

2. **नगर पालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् किरंदुल का दिनांक 01/08/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खि.प्र.), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1479/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 24/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 436/खनिज/उ.प./2023-24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 21/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 7.23 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 437/खनिज/उ.प./2023-24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 21/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती [illegible] के नाम पर है। लीज अवधि 30 वर्षों अर्थात दिनांक 20/07/2017 से 19/07/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5404 दंतेवाड़ा, दिनांक 08/08/2023 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर कोई अभयारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान/ टाईगर रिजर्व नहीं है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख

करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–दंतेवाड़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–[illegible] 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–[illegible] 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.3 कि.मी. दूर है। [illegible] नदी 60 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,21,920 टन, माईनेबल रिजर्व 1,46,016 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,38,715 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,592 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,826
द्वितीय	20,826
तृतीय	20,826
चतुर्थ	20,826
पंचम	20,826

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 882 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य खदानों के अतिव्यापन (overlapping) के कारण एवं पूर्व में उत्खनिपट्टा क्षेत्र का सीमांकन कर लगाये गये सीमा स्तंभ का क्षेत्रफल उसके उत्खनन योजना में अंकित को–ऑर्डिनेट सीमा स्तंभ से भिन्न होने के कारण लीज के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग उत्खनित हो गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पृ. ज्ञापन क्रमांक 396-A/खनिज/उ.प./2023-24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/07/2023 के अनुसार खनि निरीक्षक दंतेवाड़ा के द्वारा स्वीकृत उत्खनिपट्टा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उत्खनिपट्टाधारी के द्वारा उत्खनिपट्टा क्षेत्र का सीमांकन कर सीमा स्तंभ लगाया गया किन्तु उत्खनन योजना में अंकित को-ऑर्डिनेट सीमा स्तंभ के वास्तविक को-ऑर्डिनेट से भिन्न पाया गया है। खदान क्षेत्र में लगे सीमा स्तंभ के सही को-ऑर्डिनेट लिए गये हैं जो निम्नलिखित है:-

सरल क्रमांक	सीमा स्तंभ	अक्षांश	देशांतर
1	A	18°38'47.23"N	81°16'36.79"E
2	B	18°38'47.32"N	81°16'39.35"E
3	C	18°38'41.00"N	81°16'42.14"E
4	D	18°38'40.11"N	81°16'37.60"E

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में उत्खनन योजना में दर्शित सीमा स्तंभ के लिये गये को-ऑर्डिनेट के स्थान पर तालिका में दर्शित खदान क्षेत्र के सही को-ऑर्डिनेट को परिवर्तित किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 436/खनिज/उ.प./2023-24 दंतेवाड़ा, दिनांक 21/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 7.23 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरंदुल) का रकबा 2.22 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरंदुल) को मिलाकर कुल रकबा 9.45 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर अवैध उत्खनन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

   v. Project proponent shall submit the details of plants along with photographs by mentioning the numbering of the trees and the name of the plant.

vi. Project proponent shall submit the undertaking regarding cutting of trees only when required and only after permission from the competent authority.

vii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

viii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs. Union of India order dated 02.08.2017.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant

cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर एवं कार्यालय कलेक्टर/जिलाधिकारी, जिला–बलौदाबाजार को पत्र भेजा किया जाए।

6. मेसर्स नु विस्टा लिमिटेड (पचवामडेरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–पचवामडेरा, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2360)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 423152/2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पचवामडेरा, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 228, 229, 238, 240, 241/1, 241/2, 242/2, 243, 245, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 270/1, 270/2, 273, 274, 275, 277/1 में शामिल 278, 282, 283, 284 में शामिल 285, 289/1/1 में शामिल 291, 289/1/2 में शामिल 291, 289/1/3 में शामिल 291, 293/1, 294/1, 294/2, 295, 296, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 456, 479, 271, 272, 353/1 शामिल 356, 353/2, 244/1, 239/1, 239/2, 246/1, 246/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277/2 शामिल 278, 277/3, 286/1, 288/2, 288/2, 288/3, 297/1 शामिल 297/2, 297/3, 312/1, 312/2, 321/1, 321/2 शामिल 322/1, 325/1, 325/2, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 491/17, 401 एवं 402, कुल रकबा–28.481 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। परियोजना हेतु कुल निवेश की राशि 50 करोड़ रूपये है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 22/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साधु रामचंद्रन, प्लांट हेड एवं श्री सुदीप त्रिवेदी, ग्री.सी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि ड्राफ्ट माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा सम्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/ अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 23/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुदीप द्विवेदी, डी.जी.एम. इन्वायरमेंट, सतीश शर्मा, हेड ऑफ ऑपरेशन एवं अजय खरे, माईन हेड उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] ([illegible]) का दिनांक 13/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलॉग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खनिज नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक आरपीआर/बलौदा–बाजार /एलएसटी /1372 /एमपी /2022–23, दिनांक 22/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाओं की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स नू विस्टा लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड) के नाम पर है। एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–03/2020/12, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक है।
6. **भू–स्वामित्व** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 28.481 हेक्टेयर में से 3.84 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं 24.

621 हेक्टेयर प्राईवेट भूमि है। भूमि स्वामी संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, पी-2) प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र से [illegible] रिजर्व फॉरेस्ट 2.3 कि.मी., [illegible] रिजर्व फॉरेस्ट 5.1 कि.मी., [illegible] रिजर्व फॉरेस्ट 6.8 कि.मी. एवं मोहतरा रिजर्व फॉरेस्ट 8.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित होना बताया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन-महासमुंद 10 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है। लीज क्षेत्र के भीतर से नाला गुजरता है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10.671 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 4.734 मिलियन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 83,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। प्रथम 5 वर्ष में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 8,700 घनमीटर एवं ओवर बर्डन/वेस्ट की मात्रा कुल 59,100 टन होगी। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	टॉप सॉइल (घनमीटर)	वेस्ट (टन)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	निरंक	निरंक	निरंक
द्वितीय	8,700	59,100	निरंक
तृतीय	निरंक	निरंक	66,760
चतुर्थ	निरंक	निरंक	2,00,000
पंचम	निरंक	निरंक	6,00,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 40 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जिसमें से घरेलू उपयोग हेतु 7.5 घनमीटर, डस्ट सप्रेशन हेतु 17.5 घनमीटर एवं वृक्षारोपण हेतु 15 घनमीटर जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति भू-जल एवं माईन पीट के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष 4,000 नग वृक्षारोपण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में किया जाना बताया गया है, इस प्रकार 5 वर्षों में कुल

23,475 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि 23,475 नग पौधों का वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी फाईनल ई.आई.ए. में शामिल करते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के भीतर से नाला गुजरने के कारण नाले के दोनों तरफ 50 मीटर की लम्बाई तक, कुल 1.241 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में शेड्यूल 1 प्रजाति पाई गई है। समिति का मत है कि उपरोक्त बाबत् आवेदित क्षेत्र का वन्य जीव संरक्षण योजना तैयार कर वन विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरांत फाईनल ई.आई.ए. में शामिल करते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 26.461 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी–1 श्रेणी की है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the land (B-1, P-2) document.
   ii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.
   iii. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
   iv. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
   v. Project proponent shall submit performance report of Baseline Data Generation for preparation of EIA Study Report.
   vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
   vii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan in detail in accordance to MoEF & CC guidelines and EIA Manual.

viii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

x. Project proponent shall submit a conservation plan for Schedule-I species and incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xvi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery of mining lease area & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of plants of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टी.ओ.आर. / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स दुलना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री राजेश जैन), ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2223)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409376/ 2022, दिनांक 08/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 657, 658, 663, 665, 666, 668, 693, 694, 695, 696, 697 एवं 698, कुल रकबा–2.6 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–50,202.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश जैन, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 657, 658, 663, 665, 666, 668, 693, 694, 695, 696, 697 एवं 698, कुल रकबा–2.6 हेक्टेयर, क्षमता–28,014 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 13/12/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 12/12/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 12/12/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख./ख.लि./लीज–6/2022 रायपुर, दिनांक 04/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
08/02/2018 से 31/03/2018	3,500
2018–2019	25,001
2019–2020	25,014
2020–2021	25,014
2021–2022	25,014

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुम्ना का दिनांक 19/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 6688/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.04/2018(2) नवा रायपुर, दिनांक 30/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदानें** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1778/ख.लि./लीज–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 4 खदानें, क्षेत्रफल 8.259 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1778/ख.लि./लीज–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। महानदी लगभग 120 मीटर की दूरी पर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री साकेत जैन के नाम पर है। लीज अवधि 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/02/2018 से 07/02/2048 तक की अवधि हेतु दिया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 657, 658, 660, 668, 662, 695, 696, 697 एवं 698 श्री योगेन्द्र कांकरी एवं श्रीमती कविता जैन, खसरा क्रमांक 663 श्री योगेन्द्र कांकरी एवं श्री सनत कुमार, खसरा क्रमांक 665 श्री सनत कुमार, खसरा क्रमांक 664 श्री योगेन्द्र कांकरी एवं श्री सनत कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 239 एवं 240, कुल रकबा 1.12 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है. जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./भू./2871 रायपुर, दिनांक 15/06/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुलना 230 मीटर, स्कूल ग्राम–कुलना 230 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। महानदी 120 मीटर दूर है। समिति का मत है कि निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है एवं महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,43,730 टन, माईनेबल रिजर्व 5,31,440 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,15,496 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,657 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,002.5
द्वितीय	50,002.5
तृतीय	50,002.5
चतुर्थ	50,002.5
पंचम	50,002.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,857 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,473 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक एवं 1,724 वर्गमीटर क्षेत्र 9 मीटर की गहराई तक है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.12 के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र का कुछ भाग पूर्व से उत्खनित होने के कारण 2,360 वर्गमीटर (पिट 1 से पिट 8 तक) क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

18. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से प्रारंभ किया गया है, मॉनिटरिंग का कार्य फरवरी, 2023 तक किया जाएगा। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई। समिति का मत है कि ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाए।
2. निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए। पुनर्भराव पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

9. चिन्हित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 02/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 तक किया गया है।

2. निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 12/06/2017 द्वारा जारी स्थल जांच प्रतिवेदन अनुसार "आबादी से 320 मीटर, नदी से 180 मीटर, मुख्य मार्ग से 1.4 कि.मी. दूर है, जिस पर उत्खनन होने से आबादी पर एवं पश्चिम दिशा में स्थित खेतों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।" होना बताया गया है।

3. महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2221/तक/रायपुर दिनांक 23/06/2023 के अनुसार "लीज क्षेत्र की महानदी तटबंध से वास्तविक दूरी 120 मीटर है।" होना बताया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/02/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अप्राप्त है। सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 01/08/2023 आवेदन किया गया है। एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार–

A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/828/खनिज/यू.प./गौ.ख.–आग/2023 रायपुर, दिनांक 09/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल 28,014 टन उत्खनन किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ब.म.अ./गो./1474 रायपुर, दिनांक 18/05/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "आवेदित लीज की भूमि वन एवं परिक्षेत्र के निकटतम वनखंड से 250 मीटर की आवश्यकीय दूरी से अधिक दूरी पर है। आवेदित लीज भूमि क्षेत्र की सीमा से अर्थात् 10 कि.मी. की दूरी पर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।" होना बताया गया है।

7. प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) अनुमोदित उत्खनन योजना में किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं अन्य स्थल (निजी भूमि खसरा क्रमांक 708, 680 एवं 715) में पौधों का रोपण

कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

8. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1779/ख.लि./तीन-6/2022 रायपुर, दिनांक 07/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 4 खदानें, क्षेत्रफल 5.259 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 2.6 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 7.859 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) फॉर माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil and over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance

to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र प्रेषित किया जाए।

2. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती कविता जैन), ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2226)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409901/2022, दिनांक 08/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 433/1, 890 एवं 891, कुल क्षेत्रफल–1.377 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–53,480 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साकेत जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 433/1, 890 एवं 891, कुल क्षेत्रफल–1.377 हेक्टेयर, क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 13/05/2023 की अवधि तक वैध है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/05/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख. लि./टीम–6/2022 रायपुर, दिनांक 04/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	12,380
2018–19	15,000
2019–20	15,000
2020–21	15,000
2021–22	15,000

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टुंड्रा का दिनांक 08/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ माइनिंग प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (क्षे.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 8884/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.04/2018(2) नवा रायपुर, दिनांक 30/11/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1782/ख.लि./टीम–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.482 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1782/ख.लि./टीम–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती कविता जैन के नाम पर है। मूल उत्खननपट्टा विलेख 10 वर्ष की कालावधि हेतु रकबा 0.987 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक

22/09/2012 से दिनांक 21/09/2022 तक एवं रकबा 0.78 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 14/02/2011 से 13/02/2021 तक कुल पट्टा निष्पादित किया गया था। अवधि विस्तार के अनुसार दोनों खदानों का समामेलित आदेश के तहत् नियम 67(4) के तहत् अवधि दिनांक 14/02/2021 से दिनांक 13/02/2041 तक विस्तारित किया गया है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 433/1, 591 श्री योगेन्द्र जयसवाल एवं श्रीमती ज्योति जैन तथा खसरा क्रमांक 590 श्री राकेश जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 239 एवं 240, रकबा 1.12 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./भ./2571 रायपुर, दिनांक 15/06/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कुलना 320 मीटर, स्कूल ग्राम-कुलना 320 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। महानदी 380 मीटर दूर है। समिति का मत है कि निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है एवं महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,12,675 टन, माईनेबल रिजर्व 3,65,208 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,46,948 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,612 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6.82 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	54,060
द्वितीय	56,250
तृतीय	58,657.5
चतुर्थ	51,390
पंचम	47,067.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,812 वर्गमीटर है, जिसमें से 840 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक एवं 292 वर्गमीटर क्षेत्र 5.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.ii के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसंबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई। समिति का मत है कि ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 तक किया जाए।

2. निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए। पुनर्भराव पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण हुए क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 02/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/08/2023:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 तक किया गया है।

2. निकटतम आबादी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में तहसील आरंग द्वारा जारी पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 08/03/2022 के अनुसार ग्राम-कुलना से

266 मीटर, ग्राम–पटेवा से 3 कि.मी., नाला से 432 मीटर एवं तालाब से 312 मीटर दूर होना बताया गया है।

3. महानदी से लीज क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2220/तक/रायपुर दिनांक 23/06/2023 के अनुसार "लीज क्षेत्र की महानदी तटबंध से वास्तविक दूरी 280 मीटर है।" होना बताया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो अप्राप्त है। सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 31/08/2023 आवेदन किया गया है। एस.ई.ए.सी. के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु अनुरोध पत्र लेख किया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार:–

A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/828/खनिज/यू.प./न.क्र.–एबीड/2023, रायपुर, दिनांक 08/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल 15,000 टन उत्खनन किया गया है।

6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) अनुमोदित उत्खनन योजना में किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं अन्य स्थल (निजी भूमि खसरा क्रमांक 708, 690 एवं 716) में पौधों का रोपण

कर, पौधों का नामांकन एवं नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

8. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1782/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 6.492 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–डुमरा) का रकबा 1.377 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–डुमरा) को मिलाकर कुल रकबा 7.869 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil and over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the NOC issued by the DFO with mentioning the distance of the nearest forest area from the lease boundary.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xviii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The

plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रेषित किया जाए।

3. **मेसर्स लक्ष्मी ब्रिक्स (प्रो.– श्रीमती लक्ष्मी चन्द्रा), ग्राम–केन्दुवार, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2156)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 401232/2022, दिनांक 24/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/02/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परन्तु परिवेश पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण वांछित जानकारी दिनांक 17/05/2023 को प्राप्त हुआ।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ईंट भट्ठा) खदान है। खदान ग्राम–केन्दुवार, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल क्षेत्रफल–4.882 हेक्टेयर में है। किल्न प्लांट क्षमता–3,348 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई–25,29,500 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 443वीं बैठक दिनांक 24/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती लक्ष्मीचन्द्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, कुल क्षेत्रफल–4.882 हेक्टेयर, क्षमता–4,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिला–महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में कराते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1178/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 21/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
दिनांक 01.01.2018 से 30.06.2018 तक	निरंक
दिनांक 01.07.2018 से 31.12.2018 तक	निरंक
दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 तक	30,50,000
दिनांक 01.07.2019 से 31.12.2019 तक	निरंक
दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक	3,11,500
दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक	निरंक
दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक	13,00,100
दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक	निरंक
दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक	19,99,500

दिनांक 31/03/2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केन्दुडार का दिनांक 18/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/क/खनि./तीन–6/2017 रायपुर, दिनांक 16/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1178/क/खलि/न.क./2021 महासमुंद,

दिनांक 21/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कोई अन्य मिट्टी खदान स्वीकृत नहीं है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1179/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 21/09/2022 के अनुसार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। [illegible] मार्ग लगभग 105 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती लक्ष्मी चन्द्रा के नाम पर है। लीज अवधि 30 वर्ष अर्थात दिनांक 23/02/2018 से 22/02/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 25/1, 122, 126, 130, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1 श्री मनोज अग्रवाल, खसरा क्रमांक 120/1, 123, 124, 131, श्रीमती वर्षा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 121 श्री भरत लाल, श्री शिवलोचन, पानो, कुमारमती, खसरा क्रमांक 125, 128 श्री राजू, खसरा क्रमांक 127, 129 श्रीमती [illegible] के नाम पर है। उत्खनन के संबंध में श्री मनोज अग्रवाल, श्री भरत लाल, श्री शिवलोचन, पानो, कुमारमती, श्री राजू, श्रीमती [illegible] का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में खसरा क्रमांक 122 श्री मनोज अग्रवाल का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक मा.चि./82 महासमुंद, दिनांक 04/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 1 कि.मी., स्कूल सराईपाली 8 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 97,840 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 94,210 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 89,499 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,080 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.18 हेक्टेयर में कच्चा ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित

आयु 29 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	3,200	24,00,000
द्वितीय	3,200	24,00,000
तृतीय	3,200	24,00,000
चतुर्थ	3,210	24,07,500
पंचम	3,210	24,07,500

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्ठम	3,220	24,15,000
सप्तम	3,220	24,15,000
अष्टम	3,275	24,56,250
नवम	3,310	24,82,250
दशम	3,346	25,09,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 826 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 26,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,41,800 रूपये, खाद के लिए राशि 5,260 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,09,460 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,44,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में 100 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस निर्माण के लिए गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख किया गया है।

16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्ठा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत क्वारी प्लान के लेण्ड यूज पैटर्न अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया गया है, परंतु रिजर्व की गणना में स्थापित भट्ठा 0.18 हेक्टेयर में क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये रिजर्व की गणना नहीं किया गया है। समिति का मत है कि चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को विस्थापित कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
46.70	2%	0.93	Following activities at Govt. Primary School **Village - Kandudhar**	
			Plantation with fencing	1.484
			Total	**1.484**

सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम्ब, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 6,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 17,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 84,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 50,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना के भिन्न–भिन्न स्थलों में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार साईन स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 31/03/2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन के संबंध में भूमि खसरा क्रमांक 122 के भू-स्वामी श्री मनोज अग्रवाल का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्ठा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत क्वारी प्लान के लेण्ड यूज पैटर्न अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर 0.16 हेक्टेयर में केवल ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया गया है, परंतु रिजर्व की गणना में स्थापित भट्ठा 0.16 हेक्टेयर में क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये रिजर्व की गणना नहीं किया गया है। समिति का मत है कि चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।
10. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्ठे में केवल जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसकी संग्रहण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

15. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन्स से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेट्रोलियम आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/अपेक्षा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफार्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

19. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 02/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 27/09/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार 200 नग पौधों (नीम, करंज, आम आदि) का रोपण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/821/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	दिनांक	मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन क्षमता (नग)
1.	01/04/2022 से 30/09/2022	833	6,25,000
2.	01/10/2022 से 31/03/2023	107	80,000

3. उत्खनन के संबंध में भूमि खसरा क्रमांक 122 के भू–स्वामी श्री मनोज अग्रवाल का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिमार्केटेड एरिया, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर मॉडिफाईड खदान प्लान एवं सह प्रोग्रेसिव खदान क्लोजर प्लान एवं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/4880/खनि02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.02/2018(6) नवा रायपुर, दिनांक 11/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 20 टन कोयले की आवश्यकता होती है, जो कि खनन योजना अनुसार आवश्यक मात्रा कोरबा से ट्रक में लोड कर लाया जाता है एवं उसका उचित भण्डारण लीज एरिया में शेड बनाकर किया जाता है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रजाति के कोई वृक्ष नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जा चुका है।

10. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्ठा फिक्स चिमनी का निर्माण वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्ठे में

केवल जिग-जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इनके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

15. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को सर्टिफाईड कोल डिपो या कोल माईन्स से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों/अपेक्षा अनुसार ईंट भट्ठे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. ईंट भट्ठे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

21. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1178/ख/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 21/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कोई अन्य मिट्टी खदान स्वीकृत नहीं है। आवेदित खदान (ग्राम-केन्दुवार) का रकबा 4.882 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्ठी में केवल जिग-जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स लक्ष्मी ब्रिक्स (प्रो.- श्रीमती लक्ष्मी चन्द्रा) को ग्राम-केन्दुवार, तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुंद के खसरा क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.882 हेक्टेयर, क्षमता-3,246 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई-25,09,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री संजय भावसार), ग्राम-आमाकोनी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1696)**

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 70992/2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/12/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-आमाकोनी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित

खसरा क्रमांक 89, 90, 91, 92 एवं 93, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–32,245.88 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय मजमदार, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही गई, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 89, 90, 91, 92 एवं 93, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर, क्षमता–32,245.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि तक वैध थी।

      परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

      "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

      उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 884/तीन–6/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	13,900
2018	32,050

2019	28,855
2020	4,265
2021 (31 मार्च 2021)	निरंक

समिति का मत है कि मार्च 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 20/10/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1818/खलि./लीज-1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 11/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/लीज-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 62.887 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/लीज-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री [illegible] के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/08/2008 से 21/08/2018 तक थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/08/2018 से 21/08/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/24 बलौदाबाजार, दिनांक 05/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन भूमि की सीमा से 8.84 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम-सुहेला 4 कि.मी., अस्पताल ग्राम-सुहेला 4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 1.14 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,81,872 टन, माईनेबल रिजर्व 1,60,022 टन एवं मिनरलेबल रिजर्व 1,35,020 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,496.36 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,097.72
द्वितीय	32,245.89
तृतीय	26,896.20
चतुर्थ	31,343.46
पंचम	27,436.14

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,495.36 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है, जिसका पुनर्भराव किया जाना संभव नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जिस स्थान पर पुनर्भराव किया जाना संभव है, उस स्थान का पुनर्भराव कर वृक्षारोपण पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

15. प्रस्तुत क्वारी प्लान अनुसार खदान की संभावित आयु 5 वर्ष थी, जिसके अनुसार उत्खनन किया जा चुका है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from

windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 884/खनि–6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 62.887 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अमलकोनी) का रकबा 0.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अमलकोनी) को मिलाकर कुल रकबा 63.714 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र की उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस

अनुसार ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जो कि "खनिज माईनिंग प्रोजेक्ट्स" हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the revised quarry plan with reserve calculation.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority / concerned organization.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued

from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को सम्पन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित खदान प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित खदान प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही समुचित अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित खदान प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 25/08/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि खदान प्लान और प्रोग्रेसिव खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/6269/खनि02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(1) नवा रायपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। जियोलॉजिकल रिजर्व 5,60,290 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,47,877 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,60,346 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,40,483 टन शेष है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है।

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,736.88	षष्ठम	9,476.67
द्वितीय	11,646.81	सप्तम	9,476.6
तृतीय	10,588.24	अष्टम	9,476.25
चतुर्थ	9,490.89	नवम	9,475.77
पंचम	9,491.35	दशम	9,477.08

समिति द्वारा पाया गया कि उक्त प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में अधिकतम उत्खनन क्षमता 12,736.88 टन है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उत्खनन क्षमता 32,248.88 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. में आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़) को ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 89, 90, 91, 92 एवं 93 में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर, क्षमता–12,736.88 टन प्रतिवर्ष हेतु स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही पूर्व में समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 में की गई अनुशंसा में उल्लेखित टी.ओ.आर. हेतु अतिरिक्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स जमगहुर जेठार स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अशोक कुमार जायसवाल), ग्राम–जमगहुर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1889)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/244362/2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जमगहुर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल–1.85 हेक्टेयर है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–18,368 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 20/04/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल–1.85 हेक्टेयर, क्षमता– 4,568 घनमीटर (11,871.8 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। चूंकि प्रकरण

क्षमता विस्तार का है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1778/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017	4,465
2018	656
2019	2,968
2020	4,550
2021	3,710

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमरपुर का दिनांक 15/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एलोंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1591/खनिज/खनि.2/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1777/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1778/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अशोक कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड की अवधि 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/03/2011 से 04/03/2016 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 05/03/2016 से 04/03/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1682 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/08/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अमरपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–अमरपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 250 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,75,950 टन, माईनेबल रिजर्व 1,77,372 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,68,503 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,980 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.6 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,348 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,667	षष्ठम	17,667
द्वितीय	17,667	सप्तम	17,667
तृतीय	17,667	अष्टम	17,667
चतुर्थ	17,667	नवम	17,667
पंचम	17,667	दशम	18,369

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,248 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh

				Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Approch road Village-Amarpur	
			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	2.24

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,46,800 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत ग्राम पंचायत अमरपुर अंतर्गत शासकीय भूमि नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत अमरपुर के पहुंच मार्ग में दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात् आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार:–
   i. Greenbelt development has not been carried out.
   ii. Only few demarcation boundary pillars are available and no fencing is observed around the lease area.
   iii. Six monthly compliance report has not been submitted to the Regional Office of MoEF&CC regularly.
   iv. Public Liability Insurance has not been obtained under Public Liability Insurance Act, 1991.
   v. During the visit, it has been observed that apart from the old pit, excavation of soil and mining has been carried out in an area

demarcated in the revised quarry plan for the year 2022-2023 to 2031-2032.

vi. It appears that paper advertisement regarding grant of EC have been made in the Hindi daily viz. Danik Bhaskar (on 24/4/2022) and Haribhumi (22/4/2022), i.e. after the lapse of EC validity period, which is in contravention to the condition No.25 of the EC.

vii. Waste material / boulders are is being stacked in the adjoining area of the public Road.

समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु (आंवला, पीपल, बरगद, नीम, आम, अर्जुन एवं बेल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,185 नग पौधों के लिए राशि 11,850 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,07,850 रूपये तथा आगामी चार वर्षों में कुल राशि 2,08,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 31/08/2023 को प्रतिवेदन एवं जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है, जो अपूर्ण है। अतः समिति का मत है कि सभी बिन्दुओं की पूर्ण कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है, जो अपूर्ण है। अतः सभी बिन्दुओं की पूर्ण कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बरभौना सेण्ड माईन (प्रो.–श्री मदन लाल अग्रवाल), ग्राम–बरभौना, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़ का नस्ती क्रमांक 1740)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220887 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बरभौना, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 182, कुल क्षेत्रफल–4.881 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन [illegible] नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 81,734 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मदन लाल अग्रवाल, ऑनलाईन विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभौना का दिनांक 08 / 11 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **सिमांकित / सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान सिमांकित / सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058 / ख.लि.–3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058 / ख.लि.–3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058 / ख.लि.–3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एस.डी.आई. संबंधी विवरण –** एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 803 / ख.लि.–3 / रेत नीलामी / 2021 रायगढ़, दिनांक 13 / 04 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 माह की अवधि तक है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरभौना 1 कि.मी. एवं मजरा ग्राम–बरभौना 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 कि.मी. एवं राजमार्ग 58 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 800 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 241 मीटर, न्यूनतम 388 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 616 मीटर, न्यूनतम 608 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 87 मीटर, न्यूनतम 66 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.6 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 91,724 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.34 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
43.9	2%	0.87	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Barbhauna**	

			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.15
			Total	9.90

16. गैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 241 मीटर, न्यूनतम 168 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,848 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.586 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आर. के. अनुरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./5281/2021/रायगढ़, दिनांक 06/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2.08 कि.मी. की दूरी पर है।
2. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 803/खनि. –3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में आवेदन गया है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की पाट में 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. लीज सीमा से निकटतम अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एस.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी के पाट में वृक्षारोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जिस भूमि पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है, उस भूमि का खसरा क्रमांक, रकबा तथा स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। उक्त भूमि किसी भी प्रकार के विवाद से रहित होना चाहिए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के पाट तथा पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रोपित पौधों की आगामी पांच वर्ष तक सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 01/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 27/09/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2807/2023 रायगढ़, दिनांक 04/05/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 2.06 कि.मी. दूर है। लीज सीमा के 10 कि.मी. की परिधि में अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव-विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
2. एस.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 47/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 22/03/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला रायगढ़ को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** का उल्लेख है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/05/2023 को जारी

की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि—साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

3. सी.ई.आर. कार्य हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. नदी के तट में वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,600 नग पौधों के लिए राशि 1,06,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये, तथा रख—रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,51,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,72,000 रुपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बरबीना के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 52/1, 38/1 एवं क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को अन्य कार्यों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।

5. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि—पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि—पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य जेसीबी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि जेसीबी जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कुलकेट नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम—बरबीना) का रकबा 4.881 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सकें।

3. **जैव क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा —**

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का माप कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का माप पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जावेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बलौदा सेण्ड माईन (प्रो.–श्री मदन लाल अग्रवाल), खसरा क्रमांक 182, ग्राम–बलौदा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 4.881 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 2,848 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.596 हेक्टेयर उत्खनन हेतु लीज क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,576 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स सुखितापारा साधारण पत्थर खदान स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती बीना सिंह), ग्राम–सुखितापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1969)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 266682/ 2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सुखितापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक – 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित साधारण पत्थर उत्खनन क्षमता – 12,069 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 416वीं बैठक दिनांक 08/08/2022

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री गोपाल सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर, क्षमता – 12,074 टन (4,471.85 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1048/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	632
2018	447
2019	390
2020	542

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्ष 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़ियापारा का दिनांक 20/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि खदान की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2188/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1049/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, पनघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती बीना सिंह के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2012 से 04/01/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2017 से दिनांक 04/01/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/366 मनेन्द्रगढ़, दिनांक

22/08/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना आवश्यक है तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 500 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 800 मीटर एवं अस्पताल [illegible] 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राजमार्ग 4.8 कि.मी. दूर है। [illegible] नदी 120 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,39,481 टन, माईनेबल रिजर्व 5,13,643 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,87,961 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,880 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है, जिसमें से 16 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,273
द्वितीय	12,069
तृतीय	12,069
चतुर्थ	12,069
पंचम	12,069

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,41,450 रुपये, खाद के लिए राशि 10,000 रुपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,37,450 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में 1 मीटर ऊंचाई तक फैलाकर वृक्षारोपण करने उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण के लिए किया जाना बताया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईंट निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा। अतः ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाए तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थानों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउन्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/11/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 28/12/2022 को आवेदन किया गया है।

2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. क्रेशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 17/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,326 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 28° का स्लोप रखते हुये लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी 4,880 वर्गमीटर क्षेत्र (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा।

6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण का विस्तृत प्रस्ताव निजी भूमि में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं

सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात् आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 11/05/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दिनांक 30/01/2023 को किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार

   At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/22/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 12/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2020-21	730
2021-22	590
2022-23	280
कुल	1,600

   समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत दिनांक 09/01/2023 के पश्चात उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 26,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 90,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,61,000 रूपये के व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि 5 वर्षों हेतु पृथक-पृथक घटकवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत दिनांक 08/01/2023 के उपरांत उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित उत्खनन जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु 5 वर्षों के लिए पृथक–पृथक मदवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 01/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3664, दिनांक 25/08/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार पूर्ण शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), मनेन्द्रगढ़ जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/178/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. मनेन्द्रगढ़, दिनांक 03/07/2023 अनुसार जनवरी, 2023 से मई, 2023 तक में उत्खनन कार्य निरंक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at, **Village- Mukhdiyarpara**	
			Plantation	1.66
			Total	**1.66**

सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 23,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 78,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 88,000 रूपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुखियारपारा के

तहसीली उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 174/11, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1080/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-मुक्तिलालपारा) का क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मुक्तिलालपारा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती सीमा सिंह) को ग्राम-मुक्तिलालपारा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 2/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर, क्षमता-12,069 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नीरज गंगवाल), ग्राम-गोडी, तहसील-[illegible], जिला-[illegible] (अभिलेखन का नस्ती क्रमांक 1710)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 219840/2021, दिनांक 17/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288583/2022,

दिनांक 13/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोंडी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2, कुल क्षेत्रफल–1.27 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–29,723.18 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज गंगवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री तुहीन सियाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंडी का दिनांक 03/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 160(ए)/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 437/खनिज/खा.लि./2022 धमतरी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 14.38 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 725/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री नीरज गंगवाल के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/561/खनिज/पत्थर/उत्ख.पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक

25/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1118/1 की ... नाम एवं खसरा क्रमांक 1118/2 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./डी/1178 धमतरी, दिनांक 03/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोजी 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–गोजी 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. मीटर दूर है। महानदी 1.8 कि.मी. एवं मौसमी नाला 55 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,15,500 टन, माईनेबल रिजर्व 2,10,624 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,89,561 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,977.34 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 19.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 12,787.15 घनमीटर है। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,176.20	षष्टम	29,723.18
द्वितीय	27,029.37	सप्तम	23,952.58
तृतीय	28,156.66	अष्टम	9,980.27
चतुर्थ	27,469.45	नवम	8,738.15
पंचम	22,832.25	दशम	7,564.16

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,250 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,250 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवित दर) हेतु राशि	62,500	6,250	6,250	6,250	6,250
	फेंसिंग हेतु राशि	74,200	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	9,380	938	938	938	938
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,82,832		3,62,080	2,55,188	2,55,188	2,55,188	2,55,188

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में [illegible] होने के कारण 191.24 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खदान प्लान में किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum ($\mu g/m^3$)**	**Maximum ($\mu g/m^3$)**	**CPCB Standard ($\mu g/m^3$)**
$PM_{2.5}$	18.4	33.3	60
PM_{10}	43.6	62.4	100
SO_2	7.8	15.6	80
NO_2	9.9	22.3	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल मानकीय मापक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	39.9	54.5	75
Night L_{eq}	38.3	46.0	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 878 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.43 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 42 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 920 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.46 होगी। विस्तार के उपरांत भी री-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेयरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4-0.7) के भीतर है।

vi. समस्त सड़क मार्ग में सम्पूर्ण क्लस्टर के भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को भी समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. प्रतिघंटा) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में 990 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.48 है। सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु विस्तार के उपरांत भी री-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेयरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4-0.7) के भीतर है।

vii. **जी.एल.सी. की गणना** –

Contributed Concentration Levels Particulate Matter					
S. No.	Activity in the Quarry	Maximum Baseline Concentration (µg/m³)	Incremental GLCs (µg/m³)	Resultant Concentration (µg/m³)	Limit (Industrial, Rural and other area) (µg/m³)
1.	Excavation + Loading + Transportation	62.40	1.60	64.00	100

viii. लोक सुनवाई दिनांक 08/06/2022 दोपहर 12:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत भवन गोढ़ी, ग्राम–गोढ़ी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में तालिकाबद्ध प्रारूप अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य की सुविधानुसार तालिकाबद्ध प्रारूप हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विमर्श से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(In Lakh Rupees)
80	2%	1.60	Following activities at nearby Village-Goji	
			Pavitra Van Nirman	12.52
			Total	12.52

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" (आंवला, नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 13,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,80,700 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,680 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गोजी की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 844, क्षेत्रफल 5.66 हेक्टेयर में से 0.3 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के उत्तरी दिशा का कुछ भाग 37 मीटर की चौड़ाई का है, जिसमें 6 मीटर की गहराई तक ही खनन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका विवरण प्रथम पांच वर्षों का उत्पादन योजना के उपरांत के उत्पादन योजना एवं प्रोग्रेसिव खनन योजना में उल्लेखित है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पशुओं एवं पौधों के संबंध में जानकारी वैज्ञानिक नाम सहित प्रस्तुत किया गया है।

24. कंटूर प्लांटेशन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. ऊपरी मिट्टी को विक्रय नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में तालिकाबद्ध प्रारूप अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार तालिकाबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करारकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 09/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 71/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार

"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विचार प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(3) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला धमतरी को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 12,797.15 घनमीटर है। प्रथम वर्ष में 3,285.27 घनमीटर ऊपरी मिट्टी उत्पन्न होगी, जिसमें से आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण किये जाने उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में संग्रहित किया जाएगा। द्वितीय वर्ष में उत्पन्न ऊपरी मिट्टी का उपयोग प्रथम वर्ष में किये गये पिट के पुनर्भराव में किया जाएगा। इस प्रकार शेष 9,511.87 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग किये गये पिट के पुनर्भराव में किया जाएगा।

3. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रारूप हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

    i. खदान में जो बड़ा ब्लास्टिंग करते है। उससे घरों में तेज आवाज आती है। गांव वाले यही चाहते है कि निम्न स्तर पर ब्लास्टिंग का कार्य किया जाए।

    ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

    i. ब्लास्टिंग का कार्य सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदारों के द्वारा ही किया जाएगा।

    ii. खदान में काम करने के लिए यहां के रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 7 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 1.5 कि.मी.	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000

पहुँच मार्ग के दोनों तरफ की कुल लम्बाई 1.5 कि.मी. में (7,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,00,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	फेंसिंग हेतु राशि	18,90,000	—	—	—	—
	खाद एवं रख–रखाव आदि हेतु राशि	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000
इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग (त्रैमासिक)		1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
सड़क/पहुँच मार्ग के रख–रखाव हेतु		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
ग्रामीण सड़क पर वृक्षारोपण हेतु (2.5 कि.मी. तक)		1,00,000	30,000	30,000	—	—
कुल = 96,50,000		35,70,000	14,60,000	14,60,000	14,30,000	14,30,000

कोयला इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, (650 मीटर लेंथ)		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
650 मीटर लेंथ के दोनों तरफ (1250 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,80,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	फेंसिंग हेतु राशि	5,00,000	—	—	—	—
	बीज, खाद एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,10,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
इन्वायरमेन्ट मॉनिटरिंग (त्रैमासिक)		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
ग्रामीण पहुँच मार्ग में वृक्षारोपण (2.5 कि.मी.)		40,000	20,000	20,000	—	—
कुल राशि = 18,60,000		9,10,000	2,45,000	2,45,000	2,25,000	2,25,000

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

11. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 437/खनिज/खा.लि./2022 धमतरी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 14.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गोजी) का क्षेत्रफल 1.37 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गोजी) को मिलाकर कुल रकबा 15.75 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स साईंम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गौरव रामचंदानी) को ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी के खसरा क्रमांक 1118/1 एवं 1118/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.27 हेक्टेयर, क्षमता – 29,723 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/06/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्शे का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि खदान क्षेत्र से मौसमी नाला 15 मीटर दूर है। अतः प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय–दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलवे से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या ग्रामीण मार्गों को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर" का उल्लेख है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ख) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, सम्यक **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** खदान क्षेत्र से मौसमी नाला 15 मीटर दूर है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार मौसमी नाला से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में मौसमी नाला की तरफ अतिरिक्त 35 मीटर लंबाई के क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि खदान क्षेत्र से मौसमी नाला 15 मीटर दूर है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार मौसमी नाला से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में मौसमी नाला की तरफ अतिरिक्त 35 मीटर लंबाई के 1227 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1608/खनिज/उत्ख. यो.अनु./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा अनुमोदित है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 6,16,500 टन (2,46,600 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,10,624 टन (84,249 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,00,092 टन (80,037 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,876 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व में समिति की 462वीं बैठक दिनांक 09/06/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित की गई शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स अवेरा छत्तीसगढ़ एलॉयी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2360)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/424784/ 2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/04/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर, कुल क्षेत्रफल–5.13 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 7 टन) क्षमता – 36,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (2x7 टन + 1x8 टन) क्षमता 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैसीफायर–2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 4.50 करोड़ है तथा क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग 5.50 करोड़ है। इस प्रकार परियोजना का कुल विनियोग रूपए 10 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/08/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री जयंत रैना, कन्सल्टेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर से स्टील इन्गॉट्स (2 नग इण्डक्शन फर्नेस क्षमता 7 टन) 36,770 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु एवं एम.एस. रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–32,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 22/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/04/2025 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम लोफंदी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चकरभाठा विमानतल, बिलासपुर 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अरपा नदी 11.6 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 14/03/2005 के द्वारा प्लॉट नं. 22, क्षेत्रफल 12.68 एकड़ (5.13 हेक्टेयर) हेतु भूमि की लीज मेसर्स [illegible] (छत्तीसगढ़) इस्पात एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर के नाम पर जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 13/03/2104 तक है।

4. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11–23/2012/11/(6) दिनांक 16/04/2012 के द्वारा जिला–बिलासपुर, ग्राम सिरगिट्टी एवं अन्य तीन ग्राम स्थित 606.46 एकड़ भूमि को सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Construction area	9,805	19
2.	Open & Road area	24,862.15	48
3.	Green belt area	17,205	33
	Total	**51,872.15**	**100**

समिति का मत है कि अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	49,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scraps	12,400	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Ferro Alloys	600	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	59,900	Own Induction Furnace	-

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	35,700 TPA	59,900 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	32,000 TPA	59,900 TPA

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा त्रुटिवश ऑनलाईन आवेदन में 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष कोल गैसीफायर का उल्लेख हो गया है। जिसका स्थापना प्रस्तावित उद्योग में नहीं किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन–कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित क्षमतावृद्धि उपरांत अपनाई जाएगी।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – परियोजना हेतु इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग 1,300 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रोलिंग मिल से मिल स्केल 800 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग 600 टन प्रतिवर्ष एवं यूज्ड ऑयल 1 टन प्रतिवर्ष ठोस के रूप में उत्पन्न होगी। मिल स्केल को पुनःउपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 11 घनमीटर

प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के माध्यम से की जाएगी। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संबंधित संस्था से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एसबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, प्री–सीवेज कलेक्शन टैंक, एसबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमिडियेट टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जाएगी।

12. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रकबेअनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 7 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. के 2 नग डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.71 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,280 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार पौधवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात्

पश्चात विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किये जाने एवं वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन–कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
2. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित शाखा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु की गई व्यवस्था के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रूफटॉप अनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा। सभी निर्माण स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
8. परियोजना के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में हरित पट्टिका विकास हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार कार्यक्रम एवं सम्भावित व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 4[illegible]वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2697, दिनांक 01/08/2023 द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार पूर्ण शर्तों का पालन किया जाना बतलाया गया है।

2. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में लैण्ड यूसेज स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

Land use	Existing Unit		Proposed Expansion	
	Area (m^2)	Area (%)	Area (m^2)	Area (%)
Building sheds area	8,010	15.61	8,155	15.89
Road/paved area	8,000	15.59	7,000	13.64
Green belt area	16,929	33	23,085	45
Open land area	16,711	32.57	11,410	22.24
Rain water reservoir	1,650	3.21	1,650	3.21
Total Area	**51,300**	**100**	**51,300**	**100**

3. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक-पृथक प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार-

Name of Waste	Quantity (TPA)	Management
Mill Scale	500	Use in Process (again melt in induction furnace)
End Cutting	600	Use in Process (again melt in induction furnace)
Used Oil	1.0	Use as lubrication of rolling mill machines
Slag	1,100	Send to nearby bricks manufacturing unit and used for the road construction
Slag will be transported by tarpaulins covered trucks to nearby bricks manufacturing unit and road construction other waste will be utilized in house		

4. वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9.8 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 4.8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। भू-जल की उपलब्धता (18

घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 28/08/2026 तक के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

5. औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल का उपयोग डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। शून्य निस्सरण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है।

6. वर्तमान में उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 23,151.08 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) एवं शेष वर्षा जल को तालाब में एकत्रित किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,394.8 घनमीटर है। क्षमता विस्तार के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 8 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

7. परियोजना के कुल क्षेत्रफल का 23,066 वर्गमीटर (48 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण (बिल्व, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,770 नग पौधों के लिए राशि 3,62,850 रुपये, खाद के लिए राशि 88,500 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,97,350 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,08,608 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खनन से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
550	2%	11	Following activities at nearby	
			Pavitra Van Nirman	11.02
			Total	11.02

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पौधा का रोपण" के तहत् (बेल, नीम, पीपल, बेर, आंवला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 456 नग पौधों के लिए राशि 63,480 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,000 रूपये, खाद के लिए राशि 22,800 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 24,624 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,904 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,13,660 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिलपहरी के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 18/2, क्षेत्रफल 0.18 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. वर्तमान में सम्मति प्राप्त इकाईयों से उत्पादन की दशा में स्क्रबर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 6,978 किलोग्राम प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रस्तावित इकाईयों से उत्पादन की दशा में बैग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 4,186.8 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स अशोक छत्तीसगढ़ एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड में प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम-हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला-बिलासपुर स्थित क्षेत्रफल-6.13 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 7 टन) क्षमता - 36,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (297 टन + 148 टन) क्षमता 59,400 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता-32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स चंदागढ़ ब्रिक अर्थ माईन्स (प्रो.- श्री [illegible] अग्रवाल), ग्राम-चंदागढ़, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2036)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 273648/2022, दिनांक 23/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-चंदागढ़, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 40, 41/3, 41/4, 43/1/क, 43/1/ख, 43/2 एवं 44/2, कुल क्षेत्रफल-2.326 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन क्षमता-750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के

समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 46वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible] अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में 0.283 हेक्टेयर हेतु भूमि लीज पर प्राप्त थी। तत्समय चिमनी भट्ठे की स्थापना खनिज विभाग की अनुमति प्राप्त कर की गई थी। समिति का मत है कि पूर्व में 0.283 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त थी अथवा नहीं? एवं किस–किस खसरा क्रमांक हेतु लीज कब से कब तक स्वीकृत थी? इस संबंध में लीज संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 02/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्र.), जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 114/खनि.लि.–3/2022 रायगढ़, दिनांक 14/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 01/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक स्थल/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि.शा./2022 जशपुर,

दिनांक 01/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, रेल लाईन, मंदिर, मस्जिद, नदी, अस्पताल, दार्शनिक स्थल आदि इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. आवेदक के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 315/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 6704/खनि 02/उ.प.–अनु.निम्न./न.क्र. 50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 25/11/2022 के अनुसार **"छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/08/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के नियम 42 के उप–नियम (8) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।"** होना बताया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2021/3678 जशपुर, दिनांक 01/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 180 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 1.6 कि.मी. एवं अस्पताल पत्थलगांव 14 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। मुड़ी नदी 1.18 कि.मी., तालाब 790 मीटर, नहर 880 मीटर एवं मौसमी नाला 82 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संक्रिया एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 48,500 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 23,880 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,282 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी (ह्यूमस) की मोटाई 0.2 मीटर एवं मात्रा 3,410 घनमीटर है, इस ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र में मेढ़ बनाकर संरक्षित रखा जायेगा तथा पुनर्भरण के लिये उपयोग किया जायेगा। मेढ़ की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स्ड चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

अनुमोदित खदान प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	750	षष्ठम	750
द्वितीय	750	सप्तम	750
तृतीय	750	अष्टम	750
चतुर्थ	750	नवम	750
पंचम	750	दशम	750

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् केन्द्रीय ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवित दर) हेतु राशि	45,000	—	—	—	—
फेंसिंग हेतु राशि	1,13,000	—	—	—	—
खाद हेतु राशि	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 12,70,500	**3,80,500**	**2,22,500**	**2,22,500**	**2,22,500**	**2,22,500**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से 52 मीटर दूरी पर नाला स्थित होने के कारण लीज क्षेत्र में नाले की तरफ गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये 1,300 वर्गमीटर क्षेत्र एवं श्रमिकों के विश्राम के लिए कमरा आदि के लिए 200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – समिति का मत है कि चिमनी किल्न की लागत को घटाकर परियोजना हेतु कुल लागत की पुनः गणना कर सी.ई.आर. का संशोधित उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया एवं प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22/02/2022 को जारी अधिसूचना में ईंट भट्ठा हेतु जारी दिशा-निर्देश के टिप्पणी क्रमांक 6 के अनुसार "ईंट भट्ठों को आबादी और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए।" एवं टिप्पणी क्रमांक 7

के अनुसार "किसी क्षेत्र में भट्ठों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्ठों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईंट भट्ठों को स्थापित किया जाना चाहिए।" का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी पूर्व से ही स्थापित है। अतः ईंट भट्ठा एवं मिट्टी उत्खनन हेतु मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व से स्थापित चिमनी को डिस्मेंटल किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तावित लीज क्षेत्र से केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित चिमनी का ईंट बनाने की प्रक्रिया में उपयोग में नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि लीज क्षेत्र से मिट्टी उत्खनन कर ईंट के निर्माण के लिए लीज क्षेत्र से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित श्रीमती सरोज अग्रवाल के ईंट भट्ठे में उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए श्रीमती सरोज अग्रवाल की सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

21. लीज क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. लीज क्षेत्र में प्रस्तावित वृक्षारोपण का कार्य आगामी मानसून सत्र में पूरा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में माईन बाउण्ड्री लाईन से सुरक्षित क्षेत्र [illegible] टॉप सॉईल के डम्पिंग तथा विरल क्षेत्र के ब्लॉकेज को समाहित करते हुए बनाया गया है, जिससे विरल का रिजर्व खदान के कुल जियोलॉजिकल रिजर्व से घटाकर ही बनाया गया। अतः संशोधित माईनिंग प्लान करने पर भी खदान के रिजर्व पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः माईन प्लान संशोधन की आवश्यकता समाप्त करते हुए प्रकरण का निराकरण करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. पर्यावरण स्वीकृति में दिये जाने वाले सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में 0.360 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त थी अथवा नहीं? एवं किस–किस खसरा क्रमांक हेतु लीज कब से कब तक स्वीकृत थी? इस संबंध में लीज संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में 0.360 हेक्टेयर हेतु प्राप्त लीज में किये उत्पादन की प्रमाणित जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में आवेदित क्षेत्र 2.325 हेक्टेयर में क्या पूर्व में जारी लीज क्षेत्र 0.360 हेक्टेयर समाहित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. चिमनी भिठ्ठा की लागत को घटाकर परियोजना हेतु कुल लागत की पुनः गणना कर सी.ई.आर. का संशोधित उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्व से स्थापित चिमनी को डिसमेंटल किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 11/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ए) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 27/09/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 313/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार पूर्व में ग्राम-चंदागढ़, तहसील-पत्थलगांव के भूमि खसरा क्रमांक 40, 41/3 एवं 42/2, रकबा 0.383 हेक्टेयर क्षेत्र पर मिट्टी ईंट निकास [illegible] अवधि दिनांक 28/10/2003 से दिनांक 27/10/2033 तक के लिए स्वीकृत था, जिसे कार्यालय पत्र क्रमांक 418, दिनांक 30/01/2021 द्वारा व्यपगत घोषित किया जा चुका है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 313/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् वर्षवार किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (नग में)
1	2017	1,50,000
2	2018	1,50,000
3	2019	1,00,000
4	2020	निरंक
5	2021	निरंक

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 313/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार वर्तमान में आवेदित क्षेत्र रकबा 2.325 हेक्टेयर में, पूर्व स्वीकृत रकबा 0.383 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

4. पुनः प्राक्कलन अनुसार परियोजना की कुल लागत 8.94 लाख रूपये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु संशोधित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (In Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">8.94</td><td rowspan="2">2%</td><td rowspan="2">0.1788</td><td colspan="2">Following activities at Government Primary School, Village- Dauwapara (Chandiagarh)</td></tr>
<tr><td>Installation of Pipeline, Tap, sanitary ware drain line Soakpit & Others</td><td>0.20</td></tr>
</table>

			Donation of Environment Conservation Related Books with Steel Elmira	0.10
			Total	0.38

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. पूर्व से स्थापित चिमनी को डिस्मेंटल किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. लीज क्षेत्र में कच्ची ईंट का निर्माण किया जायेगा इसलिए कोयले का उपयोग नहीं होगा, जहां पर कच्ची ईंट को पकाये जायेगा वहां पर ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा से 25 घनमीटर प्रतिवर्ष ऐश जनित होगा। रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग रोड़ी की बाढ़ बनाने, सोकपीट निर्माण, लीज क्षेत्र के चारों ओर बाढ़ निर्माण एवं लीज क्षेत्र में कच्चा रोड निर्माण किया जायेगा।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत कार्य पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिटेल्ड फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि–स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निस्तारी जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे–
    i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, तालाब इत्यादि में नहीं किया जायेगा।
    ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख्ता गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
    iii. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।
    iv. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 790 मीटर तथा नहर 590 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से vi के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.5 कि.मी., अस्पताल 14 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 180 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे–

   i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

   ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

   iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

   iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

   v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

   vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

   vii. वाहनों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

13. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

k) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि. श./2022 जशपुर, दिनांक 01/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पंडरापाठ) का रकबा 2.325 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पंडरापाठ ब्रिक अर्थ माईन्स (प्रो.– श्री [illegible] अग्रवाल) को ग्राम–पंडरापाठ, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 40, 41/3, 41/4, 43/1/क, 43/1/ख, 43/2 एवं 44/2 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–2.325 हेक्टेयर, क्षमता–760 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. **मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता), ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2423)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425464/ 2023, दिनांक 15/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) (बिना विस्फोटक पदार्थ के) खदान है। खदान ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 253/4 एवं 262, कुल क्षेत्रफल–2.529 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशि रंजन साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एवं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–[illegible] के पृ. ज्ञापन क्रमांक 833–35/ख.लि./[illegible]/2023 [illegible], दिनांक 27/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 737/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 736/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, [illegible], मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, ऐतिहासिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 282 श्री विष्णु प्रसाद साहू तथा श्री [illegible] प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 283/4 श्री अनुज कुमार, श्री [illegible] एवं श्री प्रदीप कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किये गए है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विष्णु प्रसाद साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जशपुर, के ज्ञापन क्रमांक 344/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/3662 जशपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–[illegible] 1 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। तालाब 540 मीटर एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 130 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 50,580 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 43,920 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 42,602 घनमीटर है।

लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 832 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर किसी भट्टा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित खनन प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	4,000
द्वितीय	4,000
तृतीय	4,000
चतुर्थ	4,000
पंचम	4,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 पंक्तियों में कुल 480 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का मदवार एवं वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 30 वर्गमीटर क्षेत्र को कुआ एवं 28 वर्गमीटर क्षेत्र को ट्यूब वेल होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार में चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2566	Following activities at, Govt. Primary School, Lathbora	
			Plantation	0.831
			Total	0.831

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शाला लठबोरा में (नीम, पीपल, आम, कदम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नग पौधों के लिए राशि 3,900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 28,000 रूपये, खाद के लिए राशि 800

रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 23,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण करने हेतु शासकीय प्राथमिक शाला [illegible] के प्रधान पाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (उत्पन्न किया जाकर पक्की ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्ठों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्ठों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 पंक्तियों में कुल 450 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (उत्पन्न किया जाकर पक्की ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्ठों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्ठों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसा न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

5. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

9. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से अनुमानित जल उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत् मान्यताप्राप्त व्यक्ति द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन अनुसार खदान की लीज क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 12/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 480 नग वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तित करने (फर्म किया जाकर पक्की ईंटों का निर्माण) हेतु लीज क्षेत्र से लगा हुआ स्थल के ईंट भट्ठा मेसर्स विष्णु प्रसाद गुप्ता ब्रिक अर्थ माईन में किया जाना बताया गया है। मेसर्स विष्णु प्रसाद गुप्ता ब्रिक अर्थ माईन को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 15/09/2018 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी है। मेसर्स विष्णु ब्रिक इण्डस्ट्री, ग्राम–पत्थलगांव, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 293/2 एवं 293/3, मिट्टी उत्खनन क्षमता 3,000 घनमीटर (20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 16/01/2023 में जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह मान्य होगी तथा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

5. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवंटित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

9. परियोजना के भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन करवाकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार खंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

16. समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेजों (पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति) में आवेदित खदान से लगी हुई खदान की एक अन्य खदान संचालित है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर (ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।) की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** स्पष्टीकरण के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर (ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।) की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा क्रमांक-4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2567)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 63490/ 2019, दिनांक 28/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी / 438005/ 2023, दिनांक 08/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, तहसील व जिला–रायपुर में स्थित खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल–18.0 हेक्टेयर में स्टील मेल्टिंग शॉप–1 (6 टन गुणा 6 नग) क्षमता–1,08,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (12 टन गुणा 4 नग) क्षमता–1,42,560 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल–1 (हॉट चार्जिंग) क्षमता–99,900 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,36,000 टन प्रतिवर्ष, स्टील मेल्टिंग शॉप–2 (15 टन गुणा 6 नग) क्षमता–2,22,750 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग मिल–2 क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष (कोल गैसीफायर आधारित) से बढ़ाकर 2,10,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग) करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना की विनियोग लागत 230 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरुण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 49वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. के. गोयल, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पोल्यूशन एण्ड इकोलॉजी कंट्रोल सर्विसेस, नागपुर की ओर से श्री. तिवारी उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 11/02/2008 को रोलिंग मिल क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। समिति का मत है कि उक्त हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 84, दिनांक 06/06/2018 द्वारा मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल–14.5 हेक्टेयर, ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर एम.एस. राउण्ड्स एवं टी.एम.टी. बार क्षमता–37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 17/03/2023 का प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों के पालन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ज्ञापन दिनांक 24/12/2010 के माध्यम से वायर ड्राईंग यूनिट क्षमता – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/01/2024 तक है। समिति का मत है कि वायर ड्राईंग यूनिट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 28/07/2023 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट, रोलिंग मिल क्षमता–1,80,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर क्षमता–2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 20/08/2008 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/06/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा एम.एस. राउण्ड, टी.एम.टी. बार्स आदि क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष, एम.एस.इन्गाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता – 1,08,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/10/2022 को जारी की गई है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी ग्राम–सरोरा 800 मीटर, स्कूल ग्राम–गोंदवारा 2.5 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सुश्रुत अस्पताल 3.5 कि.मी. एवं निकटतम रेलवे स्टेशन उरकुरा 2.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। खारुन नदी 5.5 कि.मी. एवं छोकरा नाला 5.0 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया स्थित है।

4. भू–स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 2/5, 2/6, 1/14, 1/11, 1/15, 1/16, 30/1, 30/2, 32, 2/1, 1/3, 25/2, 26, 27/2, 33, 28, 22, 1/17, 1/7, 29/2, 28, 29/1, 4/1, 5, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में भूमि खसरा क्रमांक 2/3, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज बी–1 अनुसार खसरा क्रमांक 2/3 का रकबा केवल 1.21 हेक्टेयर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

5. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (Ha)	%
1.	Factory Shed	1.85	10
2.	Constructed area	0.8	4.32
3.	Greenbelt area	7.4	40
4.	Open area for finished good	1.2	6.48
5.	Raw Material Bay	2.0	10.81
6.	Yard for Scrap	0.5	2.71
7.	Misc. open area	1.6	8.65
8.	Area for Proposed Expansion	1.65	8.92
9.	Area under road & Parking Area	1.5	8.11
	Total	**18.5**	**100**

6. रॉ–मटेरियल –

Particulars	Existing	Proposed	Source	Mode of Transportation
SMS 1 (1,06,800 TPA to 1,42,560 TPA)				
Sponge Iron	1,03,200 TPA	1,39,320 TPA	SBPL Borjhara/Tilda	By Road
Pig Iron/CI Scrap	13,200 TPA	17,820 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	3,600 TPA	4860 TPA	SBPL Borjhara	By Road
Rolling Mill 1 (55,000 TPA to 1,35,000 TPA)				
Ingot/Billets	64,053	1,42,560	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
New Proposed SMS 2 (2,32,760 TPA)				

Sponge Iron	NIL	2,17,887 TPA	SBPIL borjhara/Tilda	By Road
Pig Iron/G Scrap	NIL	27,844 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	NIL	7904 TPA	SBPIL Borjhara	By Road
Rolling Mill 2 (1,50,000 TPA to 2,10,000 TPA)				
Ingot/Billets	1,60,233 TPA	2,22,750 TPA	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
Furnace Oil/Coal	3600 KL / 60,000 TPA	NIL	NA	NA
Captive Power Plant – Coal Based – 16 MW				
Coal	99,000	99,000	SECL	By Road & Rail
Char Dolochar	49,500	49,500	SBPIL Borjhara	By Road
Wire Drawing Mill – 1,25,000 TPA				
Wire Rods	1,26,250	1,26,250	Finished Bars from Rolling Mill	Through Drawing Machine
Fly Ash Bricks Plant – 72,000 TPA				
Fly Ash	50,400	50,400	Self Generated RM	Captive
Gypsum	3,600	3,600	Market	By Road
Sand	14,400	14,400	Market	By Road
Lime	3,600	3,600	Market	By Road

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particulars	Existing Capacity (TPA)	Proposed Expansion	Capacity After Expansion
Steel Melting Shop 1	1,05,600 TPA (6X6T)	From 1,05,600 to 1,42,560 TPA, Induction Furnaces (existing configuration 6x6T shall be change to 3x12 T & Additional 1x12T)	1,42,560 TPA (4X12 T)
Rolling Mill 1	59,500 TPA (Hot Charging)	75,500 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 1)	1,35,000 TPA (Hot Charging)
Steel Melting Shop 2	-	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)
Rolling Mill 2	1,50,000 TPA (With Coal Gasifier)	60,000 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 2)	2,10,000 TPA (Hot Charging)
Note: After establishment of Steel Melting Shop 2 of capacity 2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace) all re-rolled products shall be based on hot charging and existing reheating furnace shall be dismantle along with coal gasifier.			

8. स्थापित इकाईयों संबंधी जानकारी – उद्योग के निम्न स्थापित इकाईयों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है–

Existing Production capacity and configuration	Remarks
Coal Based Captive Power Plant - 15 MW	No change
Wire Drawing (1,25,000TPA) & Fly Ash Brick Plant (72,000 TPA)	No change
Refining Furnace (3MVA) for refining of MS Round & CTD Bars (59,500 TPA) &/or MS Ingots & Billets (1,05,600 TPA)	No change

9. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संबंध स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक–पृथक एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत चिमनियों की ऊंचाई के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्त्रोत –

Unit Name	Existing (KLD)	Proposed (KLD)	Total (KLD)	Waste Water (KLD)
Power plant make up water	1,136	NIL	1,136	190
DM water for boiler	64	NIL	64	NIL
Steel Melting Shop for cooling purpose	27	63	90	4.5
Rolling Mill for cooling purpose	21	18	39	NIL
Wire Drawing mill	05	NIL	05	NIL
Fly Ash bricks plant	45	NIL	45	NIL
Domestic water	15	11	26	21
Total	1,313	92	1,405	215.5

आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल एवं खारून नदी से की जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से 45 घनमीटर प्रतिदिन के लिए अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 28/12/2023 तक है एवं जल संसाधन विभाग, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 28/10/2004 द्वारा 1.25 लाख घनमीटर प्रतिमाह के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

उक्त प्रस्तुत जानकारी से स्पष्ट है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो रही है, चूंकि आवेदित क्षेत्र क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया के अंतर्गत आता है। अतः प्रदूषण भार में वृद्धि होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- भू–जल उपयोग प्रबंधन – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) कुल एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 80 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
(ब) वाटरशेड बाउंड्री एवं रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्ट नहीं है। अतः समिति का मत है कि कुल रन ऑफ के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गणना कर (नक्शा एवं साईज सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में स्थापित कैप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट से विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 4,000 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु लगभग 7.4 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 18,500 नग पौधे रोपित किया गया है, जिसमें से 12,950 नग पौधे जीवित हैं। वर्ष 2021-22 में 1,000 नग पौधे एवं वर्ष 2022-23 में 500 नग पौधे रोपित किये गये हैं। वर्ष 2023-24 में 1,500 नग पौधे प्रस्तावित है, जिसमें से 700 नग पौधों का रोपण किया जा चुका है। समिति का मत है कि शेष 800 नग पौधों का वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटलवार एवं समयावार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये कुल पौधों का नम्बरिंग एवं प्रजातियों का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर, 2021 से 27 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level (μg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (μg/m^3)	Maximum (μg/m^3)	CPCB Standard (μg/m^3)
$PM_{2.5}$	22.2	52.4	60
PM_{10}	36.5	80.4	100
SO_2	6.2	18.6	80
NO_2	14.9	38.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार

फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण पेयजल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	40	74	75
Night L_{eq}	30	64	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा–फौना की समुचित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. समिति का यह भी मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में पृथक–पृथक प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 07/10/2022 प्रातः 10:30 बजे स्थान – शासकीय हाईस्कूल प्रांगण, वार्ड क्रमांक 4, [illegible] [illegible] वार्ड, जोन क्रमांक 01, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/12/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में तालिकाबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार तालिकाबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समुचित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. पूर्व में दिनांक 11/02/2008 को रोलिंग मिल क्षमता 1,80,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 18 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों के पालन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
3. वायर ड्रॉईंग यूनिट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 28/07/2023 के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. भूमि खसरा क्रमांक 2/5, 2/6, 1/14, 1/11, 1/15, 1/16, 30/1, 30/2, 32, 2/1, 1/3, 23/2, 26, 27/2, 33, 25, 22, 1/17, 1/7, 29/2, 28, 29/1, 4/1, 5, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में भूमि खसरा क्रमांक 2/3, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में ले-आउट प्लान (Dimension सहित) प्रस्तुत किया जाए।

7. रॉ-मटेरियल बैलेंस की विस्तृत जानकारी (phase wise) प्रस्तुत किया जाए।

8. वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक-पृथक एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत चिमनियों की ऊंचाई के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल की मात्रा में कटौती हो रही है, चूंकि आवेदित क्षेत्र क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया के अंतर्गत आने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

10. वर्तमान में स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में पृथक-पृथक प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

11. जनित होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा एवं उसके अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. कुल रूफ क्षेत्र के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गणना कर (संख्या एवं साईज सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

13. शेष 600 नग पौधों का वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये कुल पौधों का नम्बरिंग एवं प्रजातियों का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

14. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में तालिकाबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार तालिकाबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (DPR) प्रस्तुत किया जाए।

16. भारी वाहनों / कामर्शियल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

17. कलेक्शन–सीमा की विस्तृत एवं सही–सही जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

18. जी.एल.सी. की गणना का जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गणना में कौन से मॉडल (software model) का उपयोग किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डॉ. राहुल वेंकट)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. सोनकर)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स [illegible](ख) सेण्ड माईन्स (प्रो– श्री [illegible]),
की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1929, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–[illegible](ख), तहसील–[illegible], जिला–[illegible] (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्बे गाड़ना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार कैंप उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने वाले हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपयोगितानुसार निर्धारित कि बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.

ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का माप पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का कटाव न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रक्रियाओं यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, नीबू, आम, इमली, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व होने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) फोटो एवं फोटोग्राफ अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
34.58	2%	0.6916	Following activities at Nearby, Village- DATAN	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.75
			Total	0.75

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत

किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 80 नग जिसमें से 20 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारो ओर अवस्थित हैं। शेष 40 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दारगन (क) की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 967, क्षेत्रफल 1.215 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि श्रमिक बाहरी कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अपशिष्ट खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को सक्षम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स मिनरलकिंग स्टोन क्रशर (प्रो.–श्रीमती ममता चौबे)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 181, कुल लीज क्षेत्र 1.08 हेक्टेयर, ग्राम–साल्हेवारा, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 8,382 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.08 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 8,382 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट स्रोतों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के प्राकृतिक जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकेनिकली ढकाई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.79	2%	0.2158	Following activities at nearby, **Village-Salka**	
			Plantation at Village pond	0.50
			Total	**0.50**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 30 नग जिसमें से 10 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारों ओर अवस्थित है। शेष 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 32,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सलका की सहमति उपरांत यथास्थान स्थल (खसरा क्रमांक 668, रकबा 0.84 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/पट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हरित पेटी, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 624 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में रिक्त क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 218 नग पौधों का रोपण (कुल 880 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार से बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण

किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, इन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर से ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि सीजनल श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिन्हें परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रत्याहरण / निरस्ता के मामलों को और स्पष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पुनः उस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स लक्ष्मी ब्रिक्स (प्रो.– श्रीमती लक्ष्मी चन्द्रा) की खसरा क्रमांक 25/1, 120/1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 134 एवं 135/1, ग्राम–केन्दुवार, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 4.882 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,348 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 25,09,500 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 4.882 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,348 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 25,09,500 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्की मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त क्षेत्र में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र,

भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जित बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

9. चिमनी एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हों) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

10. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

11. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाये। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये की फ्लाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

12. उत्खनन के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का पुनः उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा ढलान 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के बाहरी प्राकृतिक नालियों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र में सिल्टिंग पौंड /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

15. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
46.70	2%	0.93	Following activities at.	

			Govt. Primary School **Village - Kendudhar**	
			Plantation with fencing	1.484
			Total	**1.484**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 36 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् स्कूल के परिसर में 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 17,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 84,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 80,400 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की ग्रीन पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की ग्रीन पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (कार्य उपरांत 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 326 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 500 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, जामुन, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार से बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थान उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में उपयोगितानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मलित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

28. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम नुकसान हो।

29. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

30. कार्य स्थल पर यदि बाहरी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

32. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यविधि में परिवर्तन अथवा निर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्पादन / निष्कासन के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन समाधानप्रद नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में निश्चित अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बलौदा सेण्ड माईन (प्रो.–श्री मदन लाल अग्रवाल), की खसरा क्रमांक 182, कुल लीज क्षेत्रफल 4.991 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 2,946 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.696 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–बलौदा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में कुरकुट नदी से रेत उत्खनन क्षमता 27,018 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रदत्त पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर की भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार पिट उत्खनन क्षेत्र 4.696 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 27,018 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं स्थिर बिन्दुओं से माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर किया जावेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का कटाव न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रणाली तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की

जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्रतिबद्धता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, करंज, शीशम, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 250 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
43.9	2%	0.87	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Barbhauna**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.15
			Total	**0.90**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

27. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य कराना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

29. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

30. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. कार्य स्थल पर यदि बाहरी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।

33. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

36. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्ययोजना में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्तता के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट pariwesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

39. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स [illegible] आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती [illegible])
की खसरा क्रमांक 2/1, कुल लीज क्षेत्र 2.023 हेक्टेयर, ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible], जिला–[illegible] में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 12,0[illegible] टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.023 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 12,0[illegible] टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।

6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं उसे भी किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के पनपने हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाना हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट स्रोतों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुन: उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुन: उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकेनिकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at, **Village- Mukhtiyarpara**	
			Plantation	1.66
			Total	**1.66**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

19. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 900 नग पौधों के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 23,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 78,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 88,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुख्तियारपारा की सहमति उपरांत पौधरोपण स्थान (खसरा क्रमांक 174/11, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशम, आम, इमली, अर्जुन, सीताफल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नग पौधों का रोपण (कुल 1,400 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार की बाढ़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. परियोजना में भिन्न-भिन्न स्थानों से पार्टिकुलेट डस्ट उत्सर्जन होगा, इन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज कैपेसिटी सहित) लगाया जाए।

33. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

37. कार्य स्थल पर यदि प्रवासी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

39. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ परीक्षण कराना आवश्यक है।

40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्ययोजना में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रत्याहरण / निरस्तीकरण की कार्यवाही को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बावत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACE OF CAPACITY- 35,770 TONNES / YEAR (2X 7 TONNE) TO 59,900 TONNES / YEAR (2X 7 TONNE + 1 X 8 TONNE) & HOT CHARGING ROLLING MILL OF CAPACITY- 32,000 TONNES / YEAR TO 59,900 TONNES / YEAR OF M/S AROBA CHHATTISGARH ENERGY AND STEEL PRIVATE LIMITED

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Project Proponent shall not install any re-heating furnace based rolling mill, only Hot-Charging rolling mill through induction furnace shall be installed. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in Induction furnace(s) with minimum 35 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided

in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in Induction Furnace	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 35 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in colling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 08 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. **Noise Monitoring and Prevention**

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. **Energy Conservation Measures**

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. **Waste Management**

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer/cement units. End cutting shall be used recycled back as raw material in own induction Furnaces. Mill Scales and filter dust shall be reused in own induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 45% (23,065 m^2) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
550	2%	11	Following activities at nearby	
			Pavitra Van Nirman	11.02
			Total	11.02

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat of the respective village.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as

amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स चंदनपुर ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री गोविंद अग्रवाल) की खसरा क्रमांक 40, 41/3, 41/4, 43/1/क, 43/1/ख, 43/3 एवं 44/2, ग्राम–चंदनपुर, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर कुल लीज क्षेत्र 2.325 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 750 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.325 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–750 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् होगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर अर्धशुष्क प्रणाली से की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों (जो भी कठोर हों) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

10. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भराव एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

11. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

12. लीज क्षेत्र के भीतर फ्लाई ऐश को निर्धारित स्थान पर कवर्ड शेड के भीतर रखा जाए।

13. उत्खनन के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भराव (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गाईड पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र में सेटलिंग टैंक /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
8.94	2%	0.1788	Following activities at	

			Government Primary School, **Village- Dauwapara (Chandagarh)**	
			Installation of Pipeline, Tap, sanitary ware drain line Soakpit & Others	0.20
			Donation of Environment Conservation Related Books with Steel Elmira	0.10
			Total	**0.30**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। क्रियान्वयन असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/प्लांट/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 450 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 450 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के चारों ओर में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा कांटेदार तार से बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में उपलब्धतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट लंबाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

28. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो।

29. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

30. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

32. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा निर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रत्याहरण / निलंबन के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.